संख्याः- 980 / II-2008-04(39)/04

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून, दिनांक 27 मार्च 2008

विषयः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु धनावंटन ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या 462/मु0अ0वि0/बजट/बी-1 सामान्य दि0 21.02.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 हेतु स्वीकृत 48 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश रू0 988.04 लाख एवं राज्यांश रू0 434.96 लाख कुल रू0 1423.00 लाख (रूपये चौदह करोड़ तेईस लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

2- अधीक्षण अभियन्ता सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार एवं शासन द्वारा अनुमोदित आगणन/लागत के अनुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।

3- अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में लगाई गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

4- कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तदपरोन्त ही कार्य करायें।

5- आगणन में जिन मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है व्यय भी उन्हीं मदों में सुनिश्चित किया जाय।

6- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय और उपयुक्त न पाये जाने पर सामग्री को प्रयोग में न लाया जाय।

.....2

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना उसके मानक में अनुमन्य है।

8- एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9- कार्य सम्पादित कराते समय विभागीय विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

10- योजना के क्रियान्वयन के समय ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाय ।

11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2008 तक सुनिश्चित किया जाए एवं व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

12- इस मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 05–सिंचाई विभाग की नई योजनायें, 800–अन्य व्यय, 01- केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें, 0195–एआईबीपी की सिंचाई योजनायें (90% केन्द्रीय सहायता), 24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 219/XXVII(2)/2008 दिनांक 14.03.08 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

संख्याः– 989 / II–2008–04(39)/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2- सीनियर, ज्वांईट कमीशनर, (एम0आई0) जल संसाधन मंत्रालय 108 बी0 शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3- वित्त अनु–2,
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रूद्रप्रयाग, देहरादून, उधम सिंह नगर, चमोली, चम्पावत, टिहरी, नैनीताल ।
5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6- गार्ड फाईल।

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।